अनुदान संख्या 25 – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 25 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2998,20,00	2998,25,00	2573,80,00	-424,45,00
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				276,51,69
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*		*29,00*	..	*-29,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	64,52,00	64,54,00	37,65,00	-26,89,00
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,67,78

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	14300.00	13489.87	12798.56	-691.31
पु.	R.	-810.13			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2406”	Major Head “2406”				
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	78880.00			
पू.	S.	2.00	80828.44	72171.19	-8657.25
पु.	R.	1946.44			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18100.00			
पू.	S.	1.00	1219.44	..	-1219.44
पु.	R.	-16881.56			
मुख्य शीर्ष “3435”	Major Head “3435”				
पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	121860.00			
पू.	S.	2.00	110161.00	106352.67	-3808.33
पु.	R.	-11701.00			
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”				
राज्य सरकारों को अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	66530.00			
			66424.56	66007.58	-416.98
पु.	R.	-105.44			

(I) ₹19001.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹18001.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹19001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹18001.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(का) “वनरोपण और पारिस्थिकी विकास – राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित

(A) “Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development

भारत मिशन" – ₹3100.00 लाख;

(खा) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹5300.00 लाख;

(गा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थिकी पुनरूद्धार – संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थिकी प्रणालियों का संरक्षण" – ₹1000.00 लाख;

(घा) "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान तथा क्षमता निर्माण" – ₹2800.00 लाख; और

(ड.) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थिकीय पुनरूद्भवन – जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹1201.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(चा) "प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण – वायु और जल प्रदूषण रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹4600.00 लाख – पूर्वोत्तरर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" – ₹1501.44 लाख की बचत (₹14300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम विदेशी दौरे किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा

Programme - National Mission for a Green India" - ₹3100.00 lakhs;

(B) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats" - ₹5300.00 lakhs;

(C) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - ₹1000.00 lakhs;

(D) "Forestry - Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹2800.00 lakhs; and

(E) "Environmental Research and Ecological Regeneration -Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - ₹1201.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(F) "Prevention and Control of Pollution-Prevention of air and water Pollution - Control of Pollution" - ₹4600.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim and State Pollution Control Boards.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment, Forest and Climate Change" - saving of ₹1501.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14300.00 lakhs) was due to

संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए गए जाने और कोविड–19 सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण दावों को कम संख्या में अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts, less foreign tours undertaken, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less finalization of claims owing to COVID-19 complete lockdown.

(III) मुख्य शीर्ष "2406" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(III) Under Major Head "2406" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वानिकी – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1429.82 लाख की बचत (₹18600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने तथा कोविड–19 सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण कम संख्या में दावों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Forestry - Direction and Administration-Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹1429.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less finalization of claims owing to COVID-19 complete lockdown.

(खा) "पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण" –

(B) "Environmental Forestry and Wild Life-Wild Life Preservation" -

(क) "वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹1988.31 लाख की बचत (₹5970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गांधी नगर, गुजरात में फरवरी, 2020 में मीडिया सेवा केन्द्र, 13 पार्टियों के सम्मेलन के आयोजन के लिए गुजरात सरकार से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1988.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5970.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from Government of Gujarat for organizing centre for media services, conference of parties 13 meeting held at Gandhinagar, Gujarat in February, 2020.

(ख) "सांविधिक तथा विनियामक निकाय" – ₹787.90 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "Statutory and Regulatory Bodies" - saving of ₹787.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(गा) "वनरोपण तथा पारिस्थिकी विकास – राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण (एनसीए) – राष्ट्रीय प्राधिकरण" – ₹5920.13 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राधिकरण के कार्य की देर से शुरूआत होने के कारण हुई।

(C) "Afforestation and Ecology Development - National Compensatory Afforestation (NCA) - National Authority" - saving of ₹5920.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to late commencement of action of the authority.

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सर्वेक्षण (वनस्पति) – निदेशन और प्रशासन–संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1042.70 लाख की बचत (₹20250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने, किफायती उपाय किए जाने, उच्च कान्फिगरेशन कम्प्यूटरों की सुपुर्दगी न होने, बीजीआईआर के भीतर मेट्रो खंभों पर वर्टिकल गार्डन केन्द्र अर्पूण कार्य और लॉकडाउन के कारण मंत्रालय द्वारा तीन पुरस्कार विजेताओं का चयन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरूद्धार" –

(क) "पर्यावरणीय आयोजन तथा समन्व्य – पर्यावरणीय जागरूकता नीति, आयोजन और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली" – ₹4087.17 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मीडिया अभियानों को शुरू करने में किफायती उपाय किए जाने, कम प्रस्ताव की प्राप्ति होने, नए उत्कृष्टता केन्द्रों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने तथा "पृथ्वी मामले" और कम मीडिया अभियान की 26 संस्करण की डाक्यूमेंट्री सेवा का निर्माण न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹7914.41 लाख की बचत (₹17800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने, किफायती उपाय किए जाने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3435" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Survey (Botanical) - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹1042.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20250.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, austerity measures, non-delivery of high configuration computers, incomplete work of vertical garden on the metro pillars inside BGIR and non-selection of three awardees by the Ministry owing to lockdown.

(B) "Environmental Research and Ecological Regeneration" -

(a) "Environmental Planning and Coordination - Decision Support System for Environmental Awareness Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of ₹4087.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) was due to austerity measures in launching media campaigns, receipt of less proposals, non-finalisation of new Centres of Excellence, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-production of 26 episodes documentary services "Earth Matters" and less media campaigns.

(b) "Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - saving of ₹7914.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, economy measures and non-receipt of utilization certificates.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन तथा विकास" – ₹580.95 लाख की बचत (₹1400.00 लाख स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Environment Protection Management and Sustainable Development" - saving of ₹580.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from State Governments.

(घा) "प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण – वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹514.22 लाख की बचत (₹41400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 की वजह से गृह मंत्रालय द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के कारण प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से हुई।

(D) "Prevention and Control of Pollution-Prevention of air and water Pollution - Control of Pollution" - saving of ₹514.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41400.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to complete lockdown announced by Ministry of Home Affairs on account of COVID-19.

(ड.) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं :–

(क) "वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹1177.26 लाख की बचत (₹35030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण" – ₹1292.00 लाख की बचत (₹5330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(E) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(a) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1177.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35030.00 lakhs); and

(b) "Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹1292.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5330.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1051.76 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 47 प्रतिशत थीं।

(V) Under three heads savings of ₹1051.76 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 30 percent to 47 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹740.17 लाख) प्रयुक्त हो गईं

2.(I) The above savings were partly (₹740.17 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसाकि मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – अनुसंधान – स्वायत्त निकायों को सहायता" के अंतर्गत नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹647.17 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ₹2789.95 लाख का अधिक व्यय (₹5780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹2970.06 लाख का अधिक व्यय (₹10720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹29.00 लाख* का पूरक *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under Major Head "2406" - "Forestry - Research-Assistance to Autonomous Bodies". Actual excess, however, was ₹647.17 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" - "Forestry -Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building" - excess of ₹2789.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5780.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards conduction of training programmes.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National Mission for a Green India" - excess of ₹2970.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10720.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, supplementary *appropriation* of *₹29.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	3452.00			
पू.	S.	1.00	1819.50	1623.26	-196.24
पु.	R.	-1633.50			
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	3000.00			
पू.	S.	1.00	2566.72	2141.74	-424.98
पु.	R.	-434.28			

(I) मुख्य शीर्ष "4406" – "वानिकी – संचार एवं भवन – संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1829.74 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3453.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया मंजूरियों के पुनः वैधीकरण, प्राधिकरण पत्र जारी किए जाने के प्रक्रियात्मक विलंब होने, कार्य की धीमी प्रगति, कम मंजूरी प्राप्त होने तथा स्थल की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4406" - "Forestry - Communication and Buildings-Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹1829.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3453.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) was due to procedural delay in re-validation of outstanding sanctions, issue of letter of authorization, slow progress of work, receipt of less sanctions and non-clearance of site.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण – संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय" – ₹859.26 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शेष मंजूरियों के पुनर्वैधीकरण तथा प्राधिकार पत्र जारी करने में प्रकियात्मक विलंब होने, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में कार्य शुरू न होने, अंडमान सेंट्रल डिवीजन, पोर्ट ब्लेयर में स्थल उपलब्ध न होने और नौएडा सेंट्रल डिवीजन में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कार्य के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित किए जाने के कारण हुईं।

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹859.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) was due to procedural delay in re-validation of outstanding sanctions, issue of letter of authorization, non-starting of work in Zoological Survey of India, non-availability of site for Andaman Central Division, Port Blair and re-invitation of tenders at Noida Central Division for Botanical Survey of India work.